डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

की मा0 विद्या परिषद् की
35वीं बैठक दिनाँकः 10 फरवरी, 2025 को आहूत बैठक
का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न : 03:30 बजे
स्थान–	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद् की 35वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र0 सं0	विषय
1/35	**मा0 विद्या परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक : 22 नवम्बर, 2024 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांकः 1737/पत्रा.सं.–568(द्वितीय)/वि0परि0/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/2024–25, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 की पुष्टि वांछित है। **निर्णयः– मा0 विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक : 22 नवम्बर, 2024 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांकः 1737/पत्रा.सं.–568(द्वितीय)/वि0परि0/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/2024–25, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 की पुष्टि की गई।**
2/35	**मा0 विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 22 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 22 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन आख्या से मा0 विद्या परिषद अवगत हुई।
3/35	**University Grant Commission (Credit Farmework for Online Learning Courses Through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulation-2021, को अगींकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत D.O.F. No.1-8/2017 (SWAYAM) दिनांक 27 अगस्त, 2024/5 भाद्रपद, 1946 के क्रम में MOOCs को **SWAYAM** प्लेटफार्म **(www.swayam.gov.in)** के माध्यम से विश्वविद्यालय में संचालित करने हेतु University Grant Commission **(Credit Farmework for Online Learning Courses Through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds)** Regulation-2021, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021 को अंगीकृत किया जाना है। जो माननीय विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में MOOCs को SWAYAM प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित करने के दृष्टिगत "University Grant Commission (Credit Farmework for Online Learning Courses Through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulation-2021" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021 को अंगीकृत किये जाने हेतु माननीय विद्या परिषद**

	द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय पारित किया गया कि एक सेमेस्टर में कुल पाठ्यक्रम का अधिकतम 40% पाठ्यक्रम को **SWAYAM** प्लेटफार्म के माध्यम से ज्ञानार्जन हेतु विभाग के बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा उद्दिष्ट किया जाएगा। विश्वविद्याालय का यह निर्णय सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी संप्रेषित किया जायेगा। **<u>Decision-</u> After due consideration in view of conducting MOOCs through SWAYAM platform in this University, Academic Council accorded its approval to adopt the "University Grant Commission" (Credit Framework for Online Learning Courses Through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulation-2021" and it was also resolved that maximum up to 40% of the total courses in a semester to be taken through online learning via SWAYAM platform shall be earmarked by the Board of Studies of the Department, if such courses are available as the MOOCs.** **This decision of the University shall also be communicated to the affiliated colleges.**
4 / 35	**विश्वविद्यालय के विशेष कार्याधिकारी शैक्षणिक एवं अधिष्ठाता शैक्षणिक द्वारा प्रस्तुत Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) based Massive Open Online Courses (MOOCs) Regulation-2025 of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow पर विचार।**
	UGC (Curriculaum and Credit Farmework for UG Programme) एवं UGC (Curriculaum and Credit Farmework for PG Programme) under NEP 2020 के क्रम में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर में अधिक्तम 40% कोर्सेज को **SWAYAM** प्लेटफार्म आधारित MOOCs के रूप में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। **SWAYAM** आधारित MOOCs कोर्सेज को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने से विश्वविद्यालय को **NAAC Grading** में लाभ प्राप्त होगा। तत्क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत D.O.F. No.1-8/2017 (SWAYAM) दिनांक 27 अगस्त, 2024 / 5 भाद्रपद, 1946 एवं University Grant Commission **(Credit Farmework for Online Learning Courses Through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds)** Regulation-2021, द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन विश्वविद्यालय में Massive open online course (MOOCs) का संचालन करने हेतु **Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) based Massive Open Online Courses (MOOCs) Regulation-2025 of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow,** विश्वविद्यालय के विशेष कार्याधिकारी शैक्षणिक एवं अधिष्ठाता शैक्षणिक द्वारा तैयार कर विचारार्थ / अनुमोदनार्थ मा0 विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) based Massive Open Online Courses (MOOCs) Regulation-2025 of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow, पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। स्वयम पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रक्रिया एवं परीक्षा परिणाम की उद्घोषणा हेतु इस रेग्यूल्घन के उपबंध 3 Step–4 (3B) एवं Step–5 B में यथावर्णित NTA एवं NPTEL द्वारा संचालित परीक्षा प्रणाली के विकल्प को चुनने का मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया। इसी क्रम में स्वयम हेतु एकल सम्पर्क बिन्दु के रूप में एक संकाय सदस्य (Faculty Member) को विश्वविद्यालय का नोडल अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के विभागों में स्वयम मेन्टर तथा सम्बद्ध महा विद्यालयों में एक स्वयम मेन्टर को नामित करने हेतु मा0 कुलपति को मा0 विद्या परिषद द्वारा अधिकृत किया गया।** **विश्वविद्यालय का यह निर्णय सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी संप्रेषित किया जायेगा।** **<u>Decision-</u> After due consideration "Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) based Massive Open Online Courses (MOOCs) Regulation-2025 of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow" was approved. It was also resolved by the**

	Academic Council that the Examination process and declaration of results for SWAYAM courses conducted by the NTA and NPTEL as mentioned in Clause - 3 Step–4 (3B) and Step–5 B of this Regulation be opted. In this continuation, the Hon'ble Vice Chancellor was authorized by the Academic Council to nominate a Faculty Member as Nodal Officer of the University as a single point contact for SWAYAM, SWAYAM - Mentor in each University Departments and a SWAYAM -Mentor at the level of each affiliated colleges. **This decision of the University shall also be communicated to the affiliated colleges.**
5/35	यू0जी0, पी0जी0 एवं पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों के छात्रों का सेमेस्टर/वार्षिक पंजीकरण समर्थ पोर्टल पर किये जाने के सम्बन्ध में।
	विश्वविद्यालय में यू0जी0, पी0जी0 एवं पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों/शोधार्थियों के सेमेस्टर/ईयर रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पर किया जाना है, जिस हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण समर्थ पोर्टल के तकनीकी टीम की सहायता से किया जा चुका है, जिसका प्रदर्शन विश्वविद्यालय की सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यंथावाछित अनुमोदन प्रदान किया गया। तत्क्रम में मा0 विद्या परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में एक रूप रेखा का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् है– 1. ***यू.जीं. एवं पीं.जीं. कार्यक्रम के विद्यार्थियों हेतु–*** विद्यार्थी को सेमेस्टर वार्षिक पंजीकरण करते समय उसके अन्य सामान्य विवरण के साथ **APAAR ID** अनिवार्य होगी। यदि किसी विद्यार्थी का **APAAR ID** नही है तो पहले वह सम्बन्धित पोर्टल पर अपनी **APAAR ID** बनायेगा एवं समर्थ पोर्टल पर अपने समर्थ लॉग इन आई.डी. से अपने सम्बन्ध में यथावांछित सामान्य विवरण के साथ **APAAR ID** का उल्लेख करते हुए अपने द्वारा चुने गए कोर्स का विवरण, श्रुतिलेखक की आवश्यकता (दृष्टिबाधित एवं अस्थि दिव्यांग हेतु) के साथ भरेगा एवं अन्त में समर्थ पोर्टल पर ही आनलाइन मोड में अपनी सेमेस्टर/वार्षिक फीस (जो जिस पर लागू हो) जमा करेगा तभी उसका पंजीकरण फार्म समर्थ पोर्टल पर सब्मिट हो पायेगा एवं तदोपरान्त उसे कोई परीक्षा फार्म नही भरना होगा। पंजीकरण फार्म पी.जी. हेतु विभागाध्यक्ष लागइन एवं यू.जी. हेतु अधिष्ठाता लागइन पर जांचा एवं अनुमोदित किया जायेगा। सम्बन्धित विद्यार्थी का पंजीकरण फार्म उसके प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति (≥75%) से लिंक होगा जिससे कि सेमेस्टर/वर्ष के अन्तिम शिक्षण तिथि के उपरान्त सम्बन्धित विद्यार्थी के समर्थ लागइन आई.डी. पर प्रवेश–पत्र श्रुतिलेखक के विवरण (दृष्टिबाधित एवं अस्थि दिव्यांग हेतु) स्वतः जनरेट हो जायेगा एवं सम्बन्धित विद्यार्थी इसे डाउनलोड करते हुए प्रिन्ट लेकर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (पी0जी0 के विद्यार्थियों हेतु)/संकायाध्यक्ष (यू0जी0 के विद्यार्थियों हेतु) से हस्ताक्षरित कराकर परीक्षा में प्रवेश हेतु अपने पास सुरक्षित रखेगा। 2. ***पीएच0डी0 कार्यक्रम के शोधार्थियों हेतु–*** पीएच0डी0 शोधार्थी वार्षिक पंजीकरण करेंगे जिसके तहत वे समर्थ पोर्टल पर अपने लागइन आई.डी. के माध्यम से यथवांछित सामान्य विवरण के साथ **APAAR ID** का उल्लेख करते हुये पूर्वती फीस का विवरण भरेंगे (यदि किसी पीएच0डी0 शोधार्थी का **APAAR ID** नही तो पहले वह **APAAR ID** सम्बन्धित पोर्टल पर बनाएगा) एवं तत्पश्चात वे दो छः माही डी.आर.सी. से अनुमोदित प्रगति आख्या अपलोड करेंगे। तत्पश्चात शोध पर्यवेक्षक के लागइन पर सन्तोषजनक शोध–कार्य, उपस्थिति (≥75%) तथा अनुशासन से सम्बन्धित आख्या सब्मिट की जायेगी। तदोपरान्त विभागाध्यक्ष लागइन पर डी.आर.सी. का कार्यवृत्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है कि नही इसकी आख्या प्रस्तुत करते हुए तदनुसार पंजीकरण अनुमत/नही अनुमत की आख्या सब्मिट की जायेगी एवं तदनुसार विद्यार्थी लागइन, उसके ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर पर

	वार्षिक पंजीकरण हेतु संदेश प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर फीस जमा करने का संदेश प्रेषित होगा। समर्थ पोर्टल सेमेस्टर/वार्षिक पंजीकरण के सम्बन्ध में विद्यार्थियों/शोधार्थियों को संवेदनशील विभाग/संकाय के स्तर पर विश्वविद्यालय की सिस्टम एनालिस्ट के संयोजन में किया जाएगा एवं दिव्यांग विद्यार्थियों/शोधार्थियों हेतु विश्वविद्यालय में यथोचित स्थान पर सहायता–डेस्क स्थापित किया जाएगा। **<u>Decision-</u> After due consideration on the aforesaid proposal, Academic Council accorded its approval.** **In this continuation, a framework was stipulated by the Academic Council as per followings:** **1. <u>For the students of UG and PG programmes-</u> The APPAR ID shall be mandatory with other details at the SAMARTH portal while doing semester/year registration for the students. If any students does not have the APAAR ID then he/she has to first create it on the respective portal and he/she has to fill the APAAR ID along with the wanted general details on the SAMARTH portal with the requirement of scribe (for Visually Impaired and Orthopedically Challenged students only) and thereafter the student shall tick the courses which he/she has opted for the study and finally the student shall submit the semester/year fee as applicable, only then his/her Registration-Form shall be finally submitted at SAMARTH portal. After this, no Examination-Form shall be needed to be filled up by the students. Registration-Form shall be checked up and approved at HoD login for PG students and at Deans login for UG students. This Registration-Form shall be linked with the Admit-Card and the Attendance (≥75%) of the students so that after the last teaching date of the semester/year, the Admit-Card shall automatically be generated at the student login with details of scribe (for Visually Impaired and Orthopedically Challenged students only) for downloading which shall be printed by the student and get it signed by the respective HoD (for PG student)/Dean of the Faculty (for UG student) and the concerned student will secure it with him/her for appearing in the Examination.** **2. <u>For Ph.D. Research scholar-</u> Ph.D. research scholars shall do year-registration in which they shall enter the APAAR ID along with other wanted general details through their SAMARTH login ID (if any Ph.D. research scholar does not have APPAR ID, then he/she has to first create it at the respective portal) and then they will upload DRC approved two six monthly progress report. After that the report regarding satisfactory/unsatisfactory research work, attendance (≥75%) and disciplinary aspect shall be reported at research supervisor login. Thereafter DRC minute is approved/not approved by the competent authority and registration allowed/not allowed shall be reported at HoD login and accordingly the massage shall be sent at the student login, email and mobile number for submitting his/her fee within 07 days from the date of message for the year registration. Students/Ph.D. research scholar shall be sensitized at Department/Faculty level in coordination with the System Analyst of the University and a help-desk shall be established at appropriate places in the University for Divyang student/research scholar.**
6/35	**सत्र् 2025–26 से CUET (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय में यू0जी0 और पी0जी0 कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय में संचालित यू0जी0 एवं पी0जी0 कार्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश CUET, NTA शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सत्र् 2025–26 से किया जाना है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय में संचालित (एम0पी0ओ0 को छोड़कर) पी.जी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया CUET के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी है।

	उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 विद्या परिषद् की अभिपुष्टि प्रार्थित है। निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा पी.जी. कार्यक्रमों में पहले से प्रारम्भ हो चुकी **CUET** के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया की अभिपुष्टि की गयी एवं यू.जी. कार्यक्रमों में **CUET** के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिये गये कि– 1. अभियांत्रिकी के यू.जी. कार्यक्रम हेतु कुल सीट का **50% CUET** एवं **50% AKTU** के काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश लिया जाएगा। 2. एम0पी.ओ0 प्रोग्राम में विद्यार्थियों का प्रवेश राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाने वाले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। 3. पी0डी0सी0डी0 के छात्रों को विश्वविद्यालय से समेकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाएगा जिसके क्रियान्वयन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा समेकित विद्यालय के प्रचार्य से एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से समन्वय स्थापित किया जाएगा। **Decision- After due consideration, the process all ready initiated for admission to PG programme through CUET was ratified and proposal to conduct the admission to UG programme through CUET was approved by the Academic Council. In this continuation, it was also resolved that:** 1. **Admission in the UG programme of Engineering shall be taken at 50% of the total seat through CUET and the rest 50% through the AKTU counselling.** 2. **The admission in MPO programme shall be taken through the Entrance-Test conducted by the National Institutes.** 3. **The students of PDCD shall be relocated to the Samekeet School from the University for which a committee shall be constituted for its implementation and the Registrar of the University shall coordinate with the Principle and concerned Government Department for this purpose.**
7/35	**प्रथम सेमेस्टर में मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम के अर्न्तगत यू0जी0 स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के लिए यू0जी0सी0 दिशा–निर्देशों और पाठ्यक्रम रूपरेखा के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नईदिल्ली द्वारानिर्गत D.O.F. No.1-1/2023 (EnvirEdu/Part File) दिनांक 05 जून, 2023 के क्रममें **UGC Guidelines and Curriculum Framework for Environment Education at the Undergraduate Level** एवं **techsupport.ugc@nic.in द्वारा** दिनांक–23 सितम्बर, 2024 को प्रेषित ईमेल के क्रम में यू0जी0सी0 वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर उपलब्ध **Curriculum Guidelines And Critical Topics** जैसे– जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और सत्त विकास जो हमारे छात्रों को समकालीन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक है। तत्क्रम में पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम **(Envirmental Education Courses)** को यू0जी0 लेवल प्रोग्राम के प्रथम सेमेस्टर में वैल्यू ऐडेड कोर्स के रूप में पाठ्यक्रम के अर्न्तगत समाहित किया जाना है। जिस पर माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** **Decision- After due consider, the Academic Council granted its approval on aforesaid proposal.**
8/35	**भारतीय ज्ञान परम्परा (Indian Knowledge System) आधारित कोर्स/विषय को स्नातक कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों में समाहित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी Curriculum and Credit Frame Work of UG Programme (CCTUGP) के अधीन भारत की ज्ञान प्रणाली को मूल्य–सवंर्धित पाठ्यक्रम/बहु अनुशासनात्मक

	पाठ्यक्रम/ मुख्य विषय/सूक्ष्म विषय/कौशल विकास पाठ्यक्रम के रूप में स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना है। यू0जी0सी0 द्वारा जारी CCFUGP के अधीन यू0जी0 रेगुलेशन, 2024 विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जा चुका है। तत्क्रम में भारत की ज्ञान प्रणाली कोर्स को यू0जी0 Curriculum में समाहित करते हुये यू0जी0 प्रोग्राम के विद्यार्थियों को पढ़ाये जाने हेतु माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। **<u>निर्णयः–</u> सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** **<u>Decision-</u> After due consider, the Academic Council granted its approval on aforesaid proposal.**
9/35	**हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष, द्वारा संस्कृत विभाग की स्थापना हेतु दिये गये प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी CCFUGP के अधीन क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) के रूप में English and Modern Indian Languages (MIL) यू0जी0 प्रोग्राम के विद्यार्थियों को 04 सेमेस्टर तक (प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट) कुल 08 क्रेडिट कोर्स के रूप में पढ़ाया जाना है। अंग्रेजी विषय से सम्बन्धित Ability Enhancement Course (AEC) 02–02 क्रेडिट का **1st & 2nd Semester** में तथा Modern Indian Languages (MIL) के रूप में हिंदी एवं संस्कृत विषय में Ability Enhancement Course (AEC) एक विकल्प के रूप में दिये जायेंगे। तत्क्रम में संस्कृत विषय Modern Indian Languages (MIL) के अन्तर्गत Ability Enhancement Course (AEC) के रूप में विकल्प दिये जाने एवं संस्कृत भाषा के अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संस्कृत विभाग के गठन का प्रस्ताव विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग द्वारा दिया गया है। जिस पर माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। **<u>निर्णयः–</u> सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा ''संस्कृत विभाग'' के स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त सक्षम स्तर को 1:2:4 के अनुपात में अर्थात आचार्य 01 पद, सह आचार्य 02 पद एवं सहायक आचार्य 04 पद सृजित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित करने हेतु निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि पद सृजन एवं उस पर नियुक्ति होने तक संस्कृत विषय आधारित आधुनिक भारतीय भाषा अर्थात क्षमता सम्बर्द्धन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु दो अतिथि व्याख्याता को सूचीबद्ध किया जाएगा।** **<u>Decision-</u> After due consider, the Academic Council accorded its approval for establishing "Department of Sanskrit" and after approval of Executive Council the request letter shall be sent to the competent authority for the creation of teaching posts in the ratio of 1:2:4 i.e. 01 Professor, 02 Associate Professor and 04 Assistant Professor. It was also resolved that till the creation of teaching post and subsequent appointment, two Guest-Faculty shall be empanelled for the conduction of Sanskrit based Ability Enhance course in Morden Indian Language.**
10/35	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 21.08.2024 को जारी, NEP-Student Ambassador For Academic Reforms And Transformation in Higher Education In India (SAARTHI) गाइडलाइन के अधीन NEP-SAARTHI नामित किये जाने हेतु SOP (Standard Operating Procedure) एवं दिशा निर्देश पर विचार।**

	विश्वविद्यालय में NEP, 2020 लागू किये जाने के क्रम में NEP-Student Ambassador For Academic Reforms And Transformation in Higher Education In India (SAARTHI) नामित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 21.08.2024 को जारी गाइडलाइन के अधीन SOP (Standard Operating Procedure) एवं गाइडलाइन विश्वविद्यालय के विशेष कार्यधिकारी शैक्षणिक एवं अधिष्ठाता शैक्षणिक द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उल्लेखनीय है कि NEP-Student Ambassador For Academic Reforms And Transformation in Higher Education In India (SAARTHI) नामित किये जाने से विश्वविद्यालय को NAAC की ग्रेडिंग में लाभ प्राप्त होगा। उपरोक्त SOP (Standard Operating Procedure) पर माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। **<u>Decision-</u> After due consideration on the submitted SOP (Standard Operating Procedure), it was approved by the Academic Council.** **<u>निर्णयः–</u>मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त SOP (Standard Operating Procedure) पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।**
11 / 35	**विश्वविद्यालय में वर्ष 2025 के अवकाश की सूची पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय के पत्रांक 1935 / फा0सं0–36 / 2024–25, दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक कार्मिकों हेतु वर्ष 2025 की अवकाश सूची उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत सार्वजनिक एवं निर्बन्धित अवकाश की सूचियों का अध्ययन कर तैयार कर ली गयी है जिस पर माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। **<u>Decision-</u> After due consideration, the list of Holidays for the year 2025 was approved.** **<u>निर्णयः–</u> मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श करते हुए वर्ष 2025 की अवकाश सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
12 / 35	**विश्वविद्यालय में पूर्व से क्रियाशील ''भर्ती सेल को ''भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ'' के रूप में नामांकरण करने के सम्बन्ध में विचार।**
	विश्वविद्यालय में क्रियाशील विभागों के अन्तर्गत शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती हेतु मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021 में विश्वविद्यालय में भर्ती हेतु पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के लिए पृथक रूप से **भर्ती सेल** (Recruitement Cell) का गठन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 1326 / फा0सं0–1570 / भर्ती सेल / 2024–25, दिनांक 21.10.2024 द्वारा भर्ती सेल का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अन्य विश्वविद्यालयों (यथा–काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर) में शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के समस्त पदों की भर्ती सम्बन्धी क्रिया–कलापों, CAS के अन्तर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति इत्यादि के लिए पृथक से **भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ** का गठन है, जो नियामक संस्थाओं, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु उत्तरदायी है। अतः अन्य विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में भी **'भर्ती सेल'** को **'भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ'** के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने पर विचार किया जाना है। यह प्रकोष्ठ, नियामक संस्थाओं, राज्य सरकार तथा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली के मानको के अर्न्तगत विश्वविद्यालय में समस्त शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक पदो की भर्ती से सम्बन्धित सभी क्रिया–कलापों को क्रियान्वित करेगा तथा यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु लागू कैरियर एडवासंमेन्ट स्कीम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। **कृपया मा0 विद्या परिषद उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्णय प्रदान करना चाहें।**

	<u>निर्णयः–</u> सम्यक विचारोपरान्त भर्ती सेल को ''भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ'' के रूप में नामांकरण करने हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **<u>Decision-</u> After due consideration, the proposal for redesgnating the Recruitment-Cell in the form of "Recruitment and Assessment Cell" was approved by the Academic Council.**
13/35	**परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 एवं 17वीं बैठक दिनांक 19.12.2024 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक–30.09.2024 के कार्यवृत्त एवं परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 19.12.2024 के कार्यवृत्त पर माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। <u>निर्णयः–</u> **मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यंथावाछित अनुमोदन प्रदान किया गया।** **<u>Decision-</u> After due consideration, the sought approval, was granted by the Academic Council.**
14/35	**विश्वविद्यालय के सत्र 2024–25 के एकेडमिक कैलेण्डर में अभिभावक–शिक्षक बैठक (Parents Teacher Meeting-PTM) हेतु अवधि निर्धारित करते हुए संशोधित एकेडमिक कैलेण्डर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024–25 एकेडमिक कैलेण्डर में अभिभावक–शिक्षक बैठक (Parents Teacher Meeting-PTM) की अवधि समाहित किया जाना है। उक्त के साथ ही मा0 विद्या परिषद् की 34वीं बैठक दिनांक 22 नवम्बर, 2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित एकेडमिक कलैण्डर में स्नातक एवं परास्तनक सेमेस्टर परीक्षा तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधनोपरान्त एकेडेमिक कैलेण्डर 2024–25 पर माननीय विद्या परिषद् से अनुमोदन प्रार्थित है। <u>निर्णयः–</u> **मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए अभिभावक छात्र मीटिंग को लागू करने के सभी पहलुओं का परीक्षण करने हेतु एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।** **<u>Decision-</u> After due consideration, it was resolved that a committee shall be constituted to examine all the aspect of implementation of Parent Teacher Meeting.**
15/35	**प्रत्येक माह के अंतिम शिक्षण दिवस को विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थियों की उपस्थिति समर्थ पोर्टल पर अपलोड किये जाने के सम्बंध में।**
	विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा, अनुशासन एवं परीक्षा को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गयी है, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्रत्येक माह के अन्तिम शिक्षण दिवस को मासिक उपस्थिति अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। जिस पर माननीय विद्या परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। <u>निर्णयः–</u> **मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यंथावाछित अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी क्रम में यह भी निर्णय पारित किया गया कि उपस्थिति का माड्यूल समर्थ पोर्टल पर क्रियाशील होने तक विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति प्रत्येक माह के अन्तिम शिक्षण दिवस को विभाग के सूचना पटिका पर प्रदर्शित की जाएगी।** **<u>Decision-</u> After due consideration, the sought approval was granted by the Academic Council. In this continuation, it was resolved that the monthly attendance of the student shall be displayed on the departmental notice board till the activation of attendance module on the SAMARTH portal.**
16/35	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु**
अन्य बिन्दु–1	**विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के सम्बन्ध मे।**

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद् की 46वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2024 में विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन में निम्नांकित निर्णय प्रदान किया गया –

क्र.सं.	विवरण	पदगत दायित्व
1.	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता/मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य।	अध्यक्ष
2.	आचार्य स्तर के वाह्य विशेषज्ञ (मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित)	वाह्य विशेषज्ञ
3.	विभागाध्यक्ष (यदि विभाागध्यक्ष आचार्य नहीं हैं, तो मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर का वाह्य विशेषज्ञ)	सदस्य

उक्त गठित स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन में क्रम संख्या–01 एवं क्रम संख्या–3 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है–

क्र.स.	पूर्व की व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधित व्यवस्था
1.	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता/मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य।	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता/***जिस संकाय में अधिष्ठाता आचार्य नहीं है, तो वहाँ मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य।**
3.	विभागाध्यक्ष (यदि विभाागध्यक्ष आचार्य नहीं हैं, तो मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर का वाह्य विशेषज्ञ)	विभागाध्यक्ष (यदि विभाागध्यक्ष आचार्य नहीं हैं, तो मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर का वाह्य विशेषज्ञ) ***जिस विषय में संकाय के अधिष्ठाता तथा विभागाध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर विभागाध्यक्ष के स्थान पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर के वाह्य विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहेंगे।** ***जिस विभाग में सम्बन्धित विषय के आचार्य विभागाध्यक्ष नहीं हैं, तो वहाँ पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर के वाह्य विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहेंगे।**

उपरोक्त आंशिक संशोधन पर मा0 विद्यापरिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यंथावाछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

Decision- After due consideration, the sought approval was granted by the Academic Council.

अन्य बिन्दु–2

विश्वविद्यालय में NIRF रैंकिग के सम्बन्ध में।

निर्णयः– एन.आई.आर.एफ. समन्वयक द्वारा एन.आई.आर.एफ. पोर्टल पर सत्र 2023–24 से विगत् तीन वर्षों का डाटा प्रेषित किया गया है जिससे मा0 विद्या परिषद अवगत हुई एवं अगले सत्र हेतु निम्नवत् कदम उठाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये–

1. **सभी विद्यार्थियों/शोधार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा शोध पत्रों को प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय विश्वविद्यालय का पूरा नाम ''डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, भारत'' एवं संस्थागत ई–मेल आई.डी. xxxxx@dsmnru.ac.in का उल्लेख किया जाएगा।**
2. **Budget-Allocation को प्रदर्शित किया जाएगा एवं पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं हेतु समुचित अनुपात में बढ़ोत्तरी की जाएगी।**
3. **प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात कुल आवंटित सीट के सापेक्ष बढ़ाने हेतु समुचित कदम**

	उठाये जाएंगें। 4. विश्वविद्यालय में उपलब्ध स्टूडियो को सुव्यवस्थित किया जाएगा। **Decision The Academic Council was apprised with the data sent by NIRF Coordinator for the last three Year from the session 2023-24 and it was instructed to take the following steps for the next session-** **1. Complete name of the University "Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow, India" and institutional email ID xxxxx@dsmnru.ac.in shall be written by the students/scholar and teachers for communicating their research papers for publication.** **2. Budget – Allocation shall be presented and budget for Library and Laboratories shall be increased.** **3. Suitable steps shall be taken to increase the no. of applicants against the sanctioned seats for admission.** **4. Studio available in the University shall made effective.**
अन्य बिन्दु–3	विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025–26 के एडमिशन ब्रोशर के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2025–26 के यू.जी., पी.जी. एवं पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश के सन्दर्भ में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रवेश विवरण का निर्माण विश्वविद्यालय के प्रवेश समिति द्वारा करने के निर्देश प्रदान किये गए एवं प्रवेश समिति द्वारा सभी विभागाध्यक्षगण एवं अधिष्ठातागण को सर्कुलेट करने के उपरान्त मा0 कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में सी.यू.ई.टी. के माध्यम से प्रवेश हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु शुल्क रू0 200 (गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु) एवं रू0 100 (दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु) लेने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश प्रक्रिया (नान सी.यू.ई.टी.) जैसे पीएच0डी0 इत्यादि हेतु फार्म भरने के लिए गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु रू0 1000 एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु रू0 500 लेने का निर्णय लिया गया। **Decision- In this continuation, it was resolved that registration fee of Rs 200 (for Non – Divyang candidate) and Rs 100 (for Divyang candidate) shall be charged from the candidates who will come for admission in the University through CUET.** **The candidates who will participate in the admission process conducted by the University (eg. Ph.D. etc.) through Non-CUET shall be charged an application-fee of Rs 1000 for Non-Divyang and Rs 500 for Divang.**
अन्य बिन्दु–4	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों **(affiliated Colleges)** में विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी सी.यू.ई.टी. के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेशित करने का निर्णय लिया गया यदि सी.यू.ई.टी. के माध्यम से अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होती है अथवा सीटें रिक्त रह जाती है तो उस स्थिति में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। **Decision- It was resolved that the admission of the students in the affiliated Colleges shall also be conducted through CUET. In case the candidates are not available through CUET/or the seats allocted remain vacant, in that case the admission in the affiliated Colleges shall be conducted as per the procedure prescribed by the University.**
अन्य बिन्दु–5	विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता **(Guest Faculty)** को सूचीबद्ध **(empanel)** करने हेतु रोस्टर के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– विश्वविद्यालय में शिक्षक संर्वग में रिक्त सीटों के सापेक्ष निर्धारित रोस्टर के अनुसार अतिथि व्याख्याता को सूचीबद्ध करने का निर्याय लिया गया। विश्वविद्यालय के ऐसे विभाग जहां पद सृजन एवं रोस्टर निर्धारित नही है उनके अतिथि व्याख्याता का विज्ञापन विश्वविद्यालय में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार करने का निर्णय लिया गया।

	<u>Decision-</u> It was resolved that the Guest-Faculty in the Departments shall be empaneled against the vacant positions of teaching cadre as per the roster already stipulated by the University. **In such departments of the University where teaching positions have not been sanctioned and roster has not be stipulated, then advertisement for the Guest – Faculty shall be done as per the prevailing arrangements of the University.**
अन्य बिन्दु–6	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा पारित **Syllabus** के सम्बन्ध में।
	<u>निर्णयः–</u> उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा पारित एम.सी.ए. एव ंबी.एससी. पाठ्यक्रम संरचना एवं सेलेबस पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि अध्ययन मण्डल द्वारा पारित परास्नातक एवं स्नातक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट संरचना विश्वविद्यालय के परास्नातक एवं स्नातक कार्यक्रम रेगुलेशन–2024 के प्रावधानों के अधीन होगी। पीएच0डी0 कोर्स वर्क के सेलेबस पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि सेलेबस में क्रेडिट एवं पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के पीएच0डी रेग्यूलेशन–2024 के प्रावधानों के अनुसार होगी। बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संरचना एवं सेलेबस पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि अध्ययन मण्डल द्वारा पारित पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट संरचना एन.ई.पी.–2020 के अधीन जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। **<u>Decision-</u> After due consideration, the syllabus and programme structure of MCA and B.Sc. programme passed by the Board of Studies of Computer Science Department was approved with condition that the programme structure of MCA and B.Sc. programme shall be in accordance with the provisions of Postgraduate (PG) and Undergraduate (UG) Programme Regulation-2024 of this University.** **The syllabus and programme structure of Ph.D. course-work passed by the Board of Studies of Computer Science Department was approved with condition that it shall be in accordance with the provisions of Ph.D. Regulation-2024 of this University.** **The syllabus and programme structure of BCA passed by the Board of Studies of Computer Science Department was approved with condition that it shall be in accordance with the provisions of NEP-2020.**
अन्य बिन्दु–7	**UG** प्रोग्राम के **End-Term Examination** को संकाय स्तर पर अधिष्ठाता के पर्यवेक्षण में कराने के सम्बन्ध में।
	<u>निर्णयः–</u> विश्वविद्यालय में संचालित **UG** प्रोग्राम के **End-Term Examination** को संकाय स्तर पर अधिष्ठाता के पर्यवेक्षण में कराने के संदर्भ में सभी पहलुओ पर परीक्षण करते हुये आख्या एवं संस्तुति 15 दिनों में प्रस्तुत करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में परास्नातक परीक्षाओं को विभागस्तर पर सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु शिक्षकों द्वारा किये गए प्रयासों की मा0 विद्या परिषद द्वारा सराहना की गई। **<u>Decision-</u> After the deliberations, it was resolved that a Committee shall be constituted to examine all the related aspects for conducting End-Term Examination of UG programmes in the University at the level of Faculty under the supervision of Dean of the Faculty and to submit its reports and recommendations within 15 days. In this continuation, Academic Council appreciated the efforts of the teachers for successfully conducting the PG examinations at the department level.**
किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।	

.....